भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 134

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है)

डीआईएन प्रणाली

†134. श्री हेमन्त पाटिलः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल में प्रलेखन पहचान संख्या (डीआईएन) प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं और इसके आरंभ से डीआईएन के साथ कितने पत्राचार किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने डीआईएन के आरंभ के साथ ईमानदार करदाताओं को आयकर विभाग के हाथों उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या डीआईएन को सफलतापूर्वक चलाने और अधिकारियों/स्टाफ के उचित प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर प्रशासन में अधिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता प्रदान करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी हां।

(ख) तथा (ग): नई प्रणाली के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि कर निर्धारण, अपील, आदेश (सांविधिक अथवा अन्यथा), छूट, पूछताछ, जांच, सूचना के सत्यापन, शास्ति, अभियोजन, संशोधन, अनुमोदन इत्यादि से संबंधित कोई पत्राचार निर्धारिती से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से 01 अक्टूबर, 2019 को अथवा इसके बाद किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि कंप्यूटर सृर्जित प्रलेखन पहचान संख्या (डिन) आवंटित नहीं किया गया है और ऐसे पत्राचार की बॉडी में इसका विधिवत उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे सभी पत्राचारों की उचित लेखा परीक्षा जांच सुनिश्चित करना है। दिनांक 11 नवंबर, 2019 तक आयकर विभाग द्वारा डिन के साथ 5.33 करोड़ पत्राचार जारी किए गए हैं।

(घ) जी हां। डिन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना को सृजित किया गया है। आयकर विभाग की प्रणालियों, संसाधन केंद्रों, अनुप्रयोगों तथा सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ अधिकारियों के पास पर्याप्त कंप्यूटर अवसंरचना उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं, वेबकॉस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से विभाग के अधिकारियों तथा स्टाफ को जरूरी प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

(ड़) सरकार ने करदाताओं के साथ अंतःसंपर्क के डिजिलीकरण हेतु सतत् पहलें की हैं जिसने पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही को बढ़ाने में सहायता की है। अधिकांश विवरणी दायर करना तथा संशोधन आवेदन ई फाइलिंग के माध्यम से हैं। विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के इलैक्ट्रॉनिक संचालन के लिए आयकर बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) नामक एक एकीकृत प्लेटफार्म क्रियान्वित किया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के मामलों में ई-प्रक्रियाएं की जाती हैं। नेमी(रूटिन) तथा अनुपालन कार्यों में आटोमेशन प्रक्रिया भी चलाई गई है। हाल ही में, सरकार ने आकस्मिक, फेसलेस, ई-कर-निर्धारण योजना शुरू की है ताकि कर निर्धारक (एसेसर) और कर निर्धारिती (एसेस्ड) के बीच इंटरफेस समाप्त हो और पूर्ण पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित हो।

****